डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 10/2023-24 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एलआईएएल- लखनऊ/सीपी-III/2020-21
आदेश संख्या 10/2020-21

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ (एलकेओ) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021–31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 15.06.2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय-16 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के संबंध में संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय 4 : वित्त वर्ष 2016-17 से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) तक की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एएआई का टू-अप।

4.15.1 तालिका 19 के अनुसार 1 नवम्बर, 2020 को माने गए 187.92 करोड़ रूपए के प्रारंभिक आरएबी को मानना।

4.15.2 तालिका 20 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए आरएबी के टू-अप को मानना।

4.15.3 तालिका 21 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए मूल्यह्रास के टू-अप को मानना।

4.15.4 सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए 14% की दर से एफआरओआर के टू-अप को मानना।

4.15.5 तालिका 29 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

4.15.6 तालिका 30 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

4.15.7 तालिका 32 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

4.15.8 तालिका 35 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक कराधान के टू-अप को मानना।

4.15.9 तालिका 37 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के टू-अप के लिए 120.66 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एएआर में पुन: समायोजित करना।

4.15.10 भुगतान की वास्तविक तारीख के लिए जैसा भी उपयुक्त हो, तालिका 39 के अनुसार समायोजित समझे गए या पैरा 4.14.5.2 में दिए गए सूत्र के आधार पर प्रारंभिक आरएबी को मानना।

अध्याय 5: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक का टू-अप।

5.12.1 तालिका 44 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए आरएबी और मूल्यह्रास के टू-अप को मानना।

5.12.2 तालिका 45 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए एफआरओआर के टू-अप को मानना।

5.12.3 तालिका 52 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

5.12.4 तालिका 53 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

5.12.5 तालिका 54 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

5.12.6 तालिका 56 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक के टू-अप के लिए 20.38 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुन: समायोजित करना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात परियोजनाएं

6.6.1 तालिका 67 के अनुसार सीसीएसआईए के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।

6.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को टू-अप करना।

अध्याय 7: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

7.9.1 सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए परिसंपत्तियों के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन संबंधी अध्ययन, आईएमजी मानदंडों के अनुरूप और अन्य समान हवाईअड्डों के लिए अनुमोदित किए अनुसार टर्मिनल भवन के 90:10 के अनुपात को मानना।

7.9.2 पैरा 7.8.15 और 7.8.16 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान आईडीसी की अनुमति देना और वित्तीयन भत्ते की अनुमति न देना।

7.9.3 तालिका 97 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

7.9.4 पैरा 7.8.17 में उल्लेख किए अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पंजीकृत नहीं होती है तो एआरआर से परियोजना की पूंजीकृत न की गई लागत की 1% राशि घटाना (समायोजित करना)। चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

7.9.5 पैरा 7.3.14 और 7.3.15 में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तव में वहन किए गए खर्च के आधार पर क्रमश: आरएबी/सीडब्ल्यूआईपी और स्टांप ड्यूटी/रजिस्ट्रेशन प्रभार पर जीएसटी को मानना।

7.9.6 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और (पैरा 7.3.16 में स्पष्ट किए अनुसार) चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।

7.9.7 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए लागत दक्षता और औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

7.9.8 तालिका 98 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना ।

7.9.9 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक परिवर्धन और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

7.9.10 तालिका 99 के अनुसार सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

7.9.11 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकडों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

8.6.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18 % ईक्विटी की लागत को मानना

8.6.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले अन्य हवाईअड्डों के मामलों में माने जा रहे लक्षित लाभ प्राप्त करने के अनुपात के अनुरूप 48%:52% के कल्पित ऋृण ईक्विटी (लाभ प्राप्त करने के) अनुपात को मानना।

8.6.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।

8.6.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और लाभ प्राप्त करने के अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21**%** की प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर) (देखें तालिका 104) को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

9.6.1 तालिका 107 के अनुसार सीसीएसआईए के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 10 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च

10.6.1 तालिका 137 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 11 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

11.6.1 तालिका 142 के अनुसार सीसीएसआईए के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.6.2 हवाईअड्डा प्रचालक को अन्य समान प्रकार के/ एएआई हवाईअड्डों के अनुरूप तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सीसीएसआईए के एनएआर में पर्याप्त वृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए।

अध्याय 12: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

12.6.1 तालिका 145 के अनुसार सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

12.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त रूप से ध्यान में रखकर वैमानिक कर की राशि को ट्रू-अप करना।

अध्याय 13: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.5.1 सीसीएसआईए की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

13.5.2 हवाईअड्डा प्रचालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीएसआईए पर सेवा की गुणवत्ता पूरी तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान रियायत करार में इंगित किए गए निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.6.1 तालिका 149 के अनुसार सीसीएसआईए, लखनऊ के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

14.6.2 तालिका 150 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सीसीएसआईए के लिए अनुमानित वैमानिक राजस्व और कम वसूली को मानना।

14.6.3 इस टैरिफ आदेश के संलग्नक I बी के पैरा 18.1.3 में बताए अनुसार 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी वीटीपी को मानना।

14.6.4 प्राधिकरण सीसीएसआईए को यह निदेश देता है कि वह हितधारकों और ऐरा की सूचना के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वीटीपी के तहत अर्जित लैंडिंग प्रभार, वहन किए गए व्यय और प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का अलग रिकॉर्ड रखे, ताकि अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए सुविचारित निर्णय लिया जा सके। प्राधिकरण सीसीएसआईए को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देता है कि इकाओ के भेदभाव न करने संबंधी सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।

14.6.5 प्राधिकरण सीसीएसआईए को यह निदेश देता है कि वह ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी कार्गो हैंडलिंग और ईंधन सेवाओं के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करें और प्रत्येक लेखांकन वर्ष (31 मार्च को समाप्त) के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करें।

14.6.6 सीसीएसआईए के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक -I (1ए, 1बी, 1सी) के अनुसार टैरिफ दर कार्ड को मानना।

अध्याय -**17** आदेश

17.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्नक-I (1ए, 1बी, 1सी) में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

17.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

17.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

17.4 यह आदेश 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी किया जाएगा।

17.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार प्राधिकरण को चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव, ऐरा

सेवामें,

श्री मनोज चांदुका,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष – विनियामक,
अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड,
कॉरपोरेट हाऊस, ऑफ एस.जी. हाइवे,
अहमदाबाद,
गुजरात, भारत

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए
3. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण